अनुसूची १४ – फारम सं० ५६२

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक ता० .... से .... तक :

जिला–सिमडेगा .... सं० .... सन् 2000

केस का प्रकार अनुमति वाद सं० 52/19-20 / 2019-20

धारा 46 के अन्तर्गत

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे तारीख सहित टिप्पणी
1	2	3
11/6/19	आवेदक मुक्ता बड़ा पिता / पति स्व० पीटर बड़ा ग्राम खोजाडा पेहिमार टोली थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित विवरण की भूमि को प्रस्तावित क्रेता अनिमा कुजुर पिता / पति स्व० ओहन टोप्पो ग्राम सेवई मदरा टोली थाना सिमडेगा जिला–सिमडेगा, को छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत भूमि बिक्री हेतु अनुमति के निर्मित आवेदन पत्र अर्पित किया है। क्रेता एवं विक्रेता का प्रतिशपथ पत्र के साथ अधिवक्ता की नियुक्ति पत्र भी जमा की गई है। **भूमि का विवरण** मौजा: जरजा; थाना / थाना नं०: सिमडेगा / 82; खाता सं०: 3; प्लॉट सं०: 1806; रकबा: 0.67 एकड़ में से 0.27 एकड़ कुल आवेदित रकबा (शब्दों में) सताईस डिसमील मात्र। आम इश्तहार निर्गत करें। साथ ही अंचलाधिकारी, सिमडेगा से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 17/6/19 को रखें। [signature] भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा।	

Scanned with CamScanner

17/6/19 5/9/20	अभिलेख उपस्थापित। अपरिहार्य कारणों से अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। कोई पैरवी नहीं पड़ी। अंचल अधिकारी सिमडेगा से जाँच एवं तालिका प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक 21.9.20 को रखें। L.R.D.C Simdega
21/9/20	अभिलेख उपस्थापित। कोई पैरवी नहीं पड़ी। अंचल अधिकारी सिमडेगा से जाँच एवं तालिका प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 23/9/20 को रखें। L.R.D.C Simdega
23/9/20	अभिलेख उपस्थापित। कोई पैरवी नहीं पड़ी। अंचल अधिकारी सिमडेगा से जाँच एवं तालिका प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 7/10/20 को रखें। L.R.D.C Simdega

Scanned with CamScanner

021

अपरिहार्य कारणों से अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी सिमडेगा के द्वारा तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस वाद में आवेदक अथवा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक लम्बी अवधि के अन्तराल तक कोई पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस अनुमति वाद में अंकित भूमि की बिक्री हेतु कोई अभिरुचि/आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में अभिलेख को अग्रेतर कार्रवाई बार-बार करना प्रासंगिक नहीं लग रहा है।

अतः इस अनुमति वाद का एक पक्षीय सुनवाई करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
सिमडेगा

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2021.07.31 13:37:14 +05:30
Location: 192.168.0.109

Scanned with CamScanner